न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2020(रा.अ.) (GCMS 2020/00295)	05.08.2020	19.12.2023

अनवान

1. अम्बालाल पिता लटूर सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
2. दिलदार पिता लटूर सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
3. हनुमान पिता गंगाराम सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
4. अशोक पिता गंगाराम सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
5. अम्बालाल पिता पिता गंगाराम सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
6. पप्पु पिता गंगाराम सिकलीगर आयु वयस्क निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.सू. रोड नंबर 05 सेंती चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चितौडगढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– मोहन जाट — प्रार्थी
मुकुट बिहारी दाधीच — विपक्षी

आपत्ति प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 26.07.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ पत्रावली संख्या/भूमि अर्जन/एन.एच. 79/प्र.सं. 008/2019

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **3G(5)** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ दिनांक 26.07.2019 के विरूद्ध निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने क्रमांक/भूमि अर्जन/एन.एच./ 79 प्र.सं 008/2019 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार बनाम अम्बा लाल आदि मामले में एक अवार्ड अर्थात अधिनिर्णय दिनांक 26.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को पारित किया जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं थी। प्रार्थीगण को बिना सुने उक्त अधिनिर्णय अवार्ड पारित किया और उक्त अधिनिर्णय विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर वास्तव में जितना मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाया जाना उचित एवं वैधानिक था, को न दिलाते हुए एवं प्रार्थीगण की भूमि 0.36 हैक्टेयर को कब्जे में लेकर सड़क बनाने में काम में ले ली व सडक बना दी तथापि प्रार्थीगण को 0.21 हैक्टेयर का ही मुआवजा अवार्ड में दिया गया जो मौके की वस्तुस्थिति के पूर्णतः विपरीत होकर गलत है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय है इस कारण यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में उक्त अवार्ड/अधिनिर्णय दिनांक 26.08.2019 की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 14.07.2020 को होने पर उसी दिन उक्त आक्षेपित अधिनिर्णय की व संबंधित कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 20.07.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की है इस कारण जानकारी की तिथि से यह आपत्ति प्रार्थना पत्र विधे अनुसार अंदर मियाद पेश है तथापि कानूनी अड़चनों से बचने के लिए धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से संलग्न किया जा रहा है इस कारण इस आपत्ति प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र के मियाद में देरी को कण्डोन करते हुए अंदर मियाद सुमार फरमाया जाकर विधि अनुसार निर्णित फरमाया जावें। दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थीगण की और से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है किन्तु इस जवाब को विधि अनुसार विचारण में न लेकर जो आक्षेपित अधिनिर्णय दिनांक 26.08.2019 को पारित किया है वह विधि विपरीत अनुचित व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 20.08.2018 को मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का गंगरार जो श्रीमान् तहसीलदार साहब को इस मामले में प्रेषित की गयी जो सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां पत्रावली में शुमार की हुई है जिसमें मौके की रिपोर्ट पटवारी में उल्लेख किया हुआ है कि खातेदार की भूमि 0.36 हैक्टेयर एन.एच.ए.आई फोरलेन के कब्जे में है और सडक निर्माण के उपयोग में ले रखी है। इस मौका रिपोर्ट के बावजूद भी 0.36 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को न दिलाकर जो 0.21 हैक्टेयर भूमि का आक्षेपित अवार्ड जारी किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है एवं 0.36 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है। इस कारण यह आक्षेपित प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यालय तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/916 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को मौका रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करते हुए अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें भी माना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रार्थीगण की 0.36 हैक्टेयर भूमि को अपने कब्जे में लेकर उस पर सड़क बनाने के उपयोग में ले ली। इस रिपोर्ट के बावजूद भी आक्षेपित अवार्ड में प्रार्थीगण को 0.21 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्रदत्त किया वह गलत है और प्रार्थीगण को 0.36 हैक्टेयर भूमि का नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाना एवं उक्त मुआवजा राशि पर विधि अनुसार परिलाभ दिलाया जाना न्यायोचित है, इस कारण यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो समायत न्यायालय श्रीमान् है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को 0.36 हैक्टेयर भूमि का नियमानुसार मुआवजा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त मुआवजा राशि पर विधि अनुसार परिलाभ दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

इस पर प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/भूमि अवाप्ति/एन.एच.–79/2020/237 दिनांक 20.08.2020 से मूल अभिलेख पत्रावली प्रकरण संख्या 008/2019 दिनांक 26.07.2019 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 30.11.2021 को विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 15.11.2022 को विपक्षी की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 12.12.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर सर्वप्रथम उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने क्रमांक/भूमि अर्जन/एन.एच. 79/प्र.सं. 008/2019 सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार बनाम अम्बा लाल आदि मामले में एक अवार्ड अर्थात अधिनिर्णय दिनांक 26.07.2019 को पारित किया जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं थी। प्रार्थीगण को बिना सुने उक्त अधिनिर्णय अवार्ड पारित किया और उक्त अधिनिर्णय विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर वास्तव में जितना मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाया जाना उचित एवं वैधानिक था को न दिलाते हुए एवं प्रार्थीगण की भूमि 0.36 हैक्टेयर को कब्जे में लेकर सड़क बनाने में काम में ले व सड़क बना दी तथापि प्रार्थीगण को 0.21 हैक्टेयर का ही मुआवजा अवार्ड में दिया गया जो मौके की वस्तुस्थिति के पूर्णतः विपरीत होकर गलत है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय है इस कारण यह आपत्ति प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में उक्त अवार्ड/अधिनिर्णय दिनांक 26.08.2019 की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 14.07.2020 को होने पर उसी दिन उक्त आक्षेपित अधिनिर्णय की व संबंधित कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 20.07.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की है इस कारण यह प्रार्थना–पत्र जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत है। तथापि जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जो कानूनन क्षम्य किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। पुष्टि में प्रार्थी अशोक पिता गंगाराम जाति सिकलीगर का सच्चा शपथ–पत्र पेश है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र अवार्ड आदेश दिनांक 26.07.2019 का लगभग 1 वर्ष बाद दिनांक 31.07.2019 को पेश किया है जो कि मियाद के बाहर है, एवं विलम्ब का कोई यथोचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण का आवेदन पत्र मात्र इसी आधार पर खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने क्रमांक/भूमि अर्जन/एन.एच./ 79 प्र.सं 008/2019 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार बनाम अम्बा लाल आदि मामले में एक अवार्ड अर्थात अधिनिर्णय दिनांक 26.07.2019 को पारित किया जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं थी। प्रार्थीगण को बिना सुने उक्त अधिनिर्णय अवार्ड पारित किया और उक्त अधिनिर्णय विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर वास्तव में जितना मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाया जाना उचित एवं वैधानिक था, को न दिलाते हुए एवं प्रार्थीगण की भूमि 0.36 हैक्टेयर को कब्जे में लेकर सड़क बनाने में काम में ले ली व सडक बना दी तथापि प्रार्थीगण को 0.21 हैक्टेयर का ही मुआवजा अवार्ड में दिया गया जो मौके की वस्तुस्थिति के पूर्णतः विपरीत होकर गलत है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय है। दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थीगण की और से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है किन्तु इस जवाब को विधि अनुसार विचारण में न लेकर जो आक्षेपित अधिनिर्णय दिनांक 26.07.2019 को पारित किया है वह विधि विपरीत अनुचित व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 20.08.2018 को मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का गंगरार जो श्रीमान् तहसीलदार साहब को इस मामले में प्रेषित की गयी जो सक्षम प्राधिकारी महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां पत्रावली में शुमार की हुई है जिसमें मौके की रिपोर्ट पटवारी में उल्लेख किया हुआ है कि खातेदार की भूमि 0.36 हैक्टेयर एन.एच.ए.आई फोरलेन के कब्जे में है और सडक निर्माण के उपयोग में ले रखी है। इस मौका रिपोर्ट के बावजूद भी 0.36 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को न दिलाकर जो 0.21 हैक्टेयर भूमि का आक्षेपित अवार्ड जारी किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है एवं 0.36 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है। इस कारण यह आक्षेपित प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण का कथन कि उन्हे बिना सुने ही उक्त अवार्ड आदेश सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया जो सरासर गलत है। प्रार्थीगण सक्षम प्राधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 03.02.2019 को उपस्थित हो आपत्ति आवेदन पेश किया जिस पर राजस्व अधिकारियों की मौका रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड तथा प्रार्थीगण द्वारा पेश आपत्ति आवेदन पर सम्यक विवेचन करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी महोदय ने अवार्ड आदेश जारी किया है। प्रार्थीगण के आपत्ति आवेदन पत्र बिना विचारण ही अवार्ड आदेश पारित किया जो सरासर गलत है। प्रार्थीगण की ओर से पेश आपत्ति आवेदन को सक्षम प्राधिकारी महोदय ने पत्रावली पर लेकर समुचित अवाप्ताधीन भूमि के सभी तथ्यों का नियमानुसार विश्लेषण के उपरांत ही अवार्ड आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी के पत्थरगढी आदेश दिनांक 28.05.2018 की पालना भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 02.06.2018 को उक्त आराजी की पत्थरगढी की गई जिसके अनुसार उत्तरी भुजा 16 मीटर एवं दक्षिणी भुजा 22 मीटर भूमि एन.एच.ए.आई के कब्जे में होकर सडक निर्माण के उपयोग में ले रखी है। प्रार्थी की शेष 188 मीटर भूमि समानान्तर है तथा अवाप्तधीन भूमि एन.ए.एच.आई के कब्जे में है। शेष आराजी मौके पर पडत पडी है। प्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार अवार्ड आदेश राशि का भुगतान जरिये आरटीजीएस कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ने सडक निर्माण बाबत् अवाप्त की गई 0.21 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी है। प्रार्थीगण की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के कब्जे में नहीं होकर पडत पडी हुई है जिसका मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जवाब विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र तथ्यों से परे होने से सव्यय खारीज फरमाया जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी अधिसूचना क्रमांक का0 आ0 1382(अ) दिनांक 27.03.2018 से जिसका प्रकाशन भारत राजपत्र के असाधारण अंक भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 27.03.2018 को किया गया है अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 के 151.000 कि0मी0 से 159.000 कि0मी0 और चित्तौड़गढ़ बाईपास के 00.000 कि.मी. से 29.600 कि.मी. (भीलवाडा–चित्तौड़गढ़ बाईपास सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने/छः लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए को भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3क के तहत अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1382(अ) दिनांक 21.03.2018 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित होकर चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 151.000 कि0मी0 से 159.000 कि0मी0 और चित्तौड़गढ़ बाईपास के 00.000 कि.मी. से 29.600 कि.मी. (भीलवाडा–चित्तौड़गढ़ बाईपास सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/छः लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए को भूमि अवाप्ति अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क (3) के अधीन दो समाचार पत्रों क्रमशः ''दैनिक नवज्योति'' में दिनांक 20.05.2018 एवं ''राजस्थान पत्रिका'' में दिनांक 20.05.2018 को प्रकाशित किया गया था, और आक्षेप आमंत्रित किये गये। जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद सुनवाई नियमानुसार निस्तारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ (1) के अनुसरण केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अधिनियम की धारा 3घ (1) के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का0 आ0 6001 (अ) दिनांक 29.11.2018 के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विर्निष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाने हेतु उक्त अधिसूचना भारत का राजपत्र के असाधारण अंक भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 29.11.2018 को प्रकाशित गई है उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमियों के सभी खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपनी भूमि से संबंधित विवरण, उस पर स्थित परिसम्पतियों आदि के बारे में अपना क्लेम/दावा स्वयं अथवा अपने सभी अधिकृत एजेंट अथवा अपने द्वारा अधिकृत कानूनी सलाहकार/अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरणों में तहसीलदार, गंगरार से भी मौका सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किये गये। हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/भूमि अवाप्ति/छःलेन/प्र. सं./008/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस का नोटिस जारी किया गया जो कि अपीलार्थी को प्राप्त हो गया। अपीलार्थी द्वारा 08.07.2019 क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया है तथा प्रार्थी को अवाप्ति में आने वाली भूमि के संबंध में अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं तथा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवाप्तिधीन भूमि के मुआवजा निर्धारण के संबंध में अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। जहां तक कोई निरीक्षण, सर्वे, मेजरमेन्ट, वेल्यूऐशन व इन्क्वायरी नहीं करने का प्रश्न है राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यापन किया गया। हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली की आदेशिका अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07.2019 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निस्तारित नहीं किया गया है। आदेशिका पर प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07.2019 के संबंध में किसी भी प्रकार विश्लेषण उपलब्ध नहीं है जो कि विधि के युक्ति–युक्त समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी को विधि अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का परीक्षण करा प्रार्थना–पत्र को निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील में इसी प्रार्थना–पत्र को आधार बना कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने अपील आवेदन में अन्य किसी भी तथ्य को नहीं उठाया गया है, केवल प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की शेष 0.15 हैक्टेयर भूमि के मुआवजा का प्रश्न ही उठाया गया है। प्रार्थीगण को प्राप्त 0.21 हैक्टेयर भूमि के मुआवजे के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई भी तथ्य नहीं उठाया गया है। इस से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष उभर कर आता है कि प्रार्थीगण सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अवार्ड आदेश दिनांक 26.07.2019 जो कि अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी 0.21 हैक्टेयर भूमि के संबंध में जारी किया गया है बाबत् कोई उज्र नहीं है। प्रार्थीगण अवार्ड आदेश दिनांक 26.07.2019 द्वारा 0.21 हैक्टेयर भूमि बाबत् जारी मुआवजा राशि से पूर्णतया संतुष्ट है। प्रार्थीगण की मांग केवल मात्र अपने शेष भूमि 0.15 हैक्टेयर के संबंध में ही है। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.7.2019 से आपत्ति प्रस्तुत की गई। जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से पूर्णतया प्रमाणित पाई जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07.2019 का सुमचित परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारित किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) गुणावगुण पर ठोस आधारों पर होना प्रमाणित कराया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को तकनीकी आधार पर निस्तारित किया जाना उचित नहीं है, अतः प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) को प्रस्तुत किये जाने में हुये कुलिया विलम्ब का क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) अन्दर अवधि शुमार किया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रकरण इन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07.2019 (जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है) के संबंध में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विधिवत **"Reasoned and speaking"** आदेश पारित किया जावे। इस निर्णय से प्रकरण में पूर्व में अवाप्त भूमि 0.21 हैक्टेयर हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति प्रेषित किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.12.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official